बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

संख्या–वन विक्रय (आरा मिल)–02 / 2016 / प०व० पटना–15, दिनांक–....... / 06 / 2016

बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 की धारा–23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 बनायी गयी थी। इस नियमावली के नियम–3 (3) के तहत आरा मिल या आरा गड्ढ़ा की अनुज्ञप्ति के प्रत्येक आवेदन के साथ निर्धारित अप्रत्यर्पणीय फीस तथा नियम–3 (5) के तहत अग्रिम प्रतिभूति राशि के रूप में निर्धारित बैंक ड्राफ्ट को संलग्न करना अपेक्षित है। नियम–4 (3) के तहत अनुज्ञप्ति उस कैलेण्डर वर्ष के लिए, जिसके लिए वह जारी की गयी विधिमान्य है। नियम–6 (2) के तहत अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन फीस निर्धारित की गयी है एवं नियम–6 (4) के तहत अनुज्ञप्ति केवल एक कैलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया था।

इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति नवीकरण कराये जाने के संबंध में हो रहे कठिनाईयों एवं आरामिल संचालकों को हो रही असुविधाओं को ध्यान में रखकर विभिन्न आरामिल समितियों द्वारा अनुज्ञप्ति की अवधि को बढ़ाने हेतु समय–समय पर की गयी मांग के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियम–3(3), 3(5), 4(3), 6(2) एवं 6(4) को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया गया है :–

1. नियम–3(3) – आरा मिल या आरा गड्ढे की अनुज्ञप्ति के प्रत्येक आवेदन के लिए अप्रत्यर्पणीय फीस क्रमशः दस हजार रूपये या एक हजार रूपये का भुगतान किया जायेगा। यह राशि ऐसे वन प्रमंडल पदाधिकारी की लेखा में देय होगी जहाँ आरा मिल या आरा गड्ढा पहले से संचालित किया जा रहा है या स्थापना किये जाने के लिए प्रस्तावित है। प्रत्येक आरा मिल या आरा गड्ढा के लिए अलग–अलग आवेदन करना अपेक्षित है।

2. नियम–3(5) – ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ दस हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा जो आरा मिल के लिए अग्रिम प्रतिभूति के रूप में अनुज्ञापन पदाधिकारी के पदनाम से होगा। जब अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो जाती है या नवीकरण नहीं किया जाता है तब इस प्रतिभूति की राशि को अनुज्ञाधारी के आवेदन पर उसे वापस कर दी जायेगी।

3. नियम–4(3) – अनुज्ञप्ति जिसके लिए वह जारी की गयी की अवधि 05 वर्ष के लिए विधिमान्य होगी।

4. नियम–6(2) – आरा मिल के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन फीस दस हजार होगी और आरा गड्ढे के लिए एक हजार रूपये होगी।

5. नियम–6(4) – अनुज्ञप्ति पांच कैलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत की जाएगी।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(विवेक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

संख्या–वन विक्रय (आरा मिल)–02/2016 /प०व० पटना–15, दिनांक–......./06/2016

प्रतिलिपि :– ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(विवेक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

संख्या–वन विक्रय (आरा मिल)–02/2016 2056 **/प०व० पटना–15, दिनांक–**27**/06/2016**

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/16
(विवेक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव